

कर विभाजन स्कीम मय नक्शा ट्रेस जो पेश
 हुई है उसके अनुसार भूमि खातेदारों को खातेदारी
 में अलग अलग दर्ज करने का निवेदन किया
 है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं
 विभाजन स्कीम पत्रावली में शामिल की गई
 पत्रावली आगामी लोक अदालत शिविर में
 दि. 2-6-2015 को पेश हो।

(गंगाप्रसाद गुप्ता, एडव.) (रवि कुमार शर्मा, एडव.) (मुनिदेव यादव)

2-615 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर में पेश
 हुई। प्रस्तुत राजीनामा व विभाजन स्कीम
 का अवलोकन किया गया। पक्षकारों ने
 उनकी खातेदारी भूमि का विभाजन स्कीम
 के अनुसार कटवारा करने हेतु राजीनामा
 लोक अदालत में पेश कर दिया है। अतः
 इसके अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार
 भूमि का विभाजन किया जाता है :-

1. ग्राम विदरखा की भूमि खण्डों $\frac{79}{1.112}$, $\frac{33}{0.89}$,
 $\frac{31}{0.32}$, $\frac{234}{0.58}$, $\frac{269}{0.17}$, $\frac{271}{0.41}$, $\frac{274}{0.44}$ रुपनारायण
 पुत्र गेंदीलाल की खातेदारी में रहेगी।

2. भूमि खण्डों $\frac{78}{0.93}$, $\frac{12}{0.88}$, $\frac{15}{0.24}$, $\frac{27}{0.37}$,
 $\frac{232/1}{0.64}$, $\frac{259/1}{0.21}$, $\frac{258}{0.13}$, $\frac{256}{0.27}$, $\frac{279}{0.72}$, $\frac{231/2}{0.05}$
 कुल 4.44 है। प्रमोदयाल पुत्र गेंदीलाल की
 खातेदारी में रहेगी।

3. भूमि खण्डों $\frac{50}{0.63}$, $\frac{16}{0.29}$, $\frac{13}{0.79}$, $\frac{29}{0.29}$,
 $\frac{235}{0.34}$, $\frac{236}{0.24}$, $\frac{254}{0.25}$, $\frac{253}{0.29}$, $\frac{262/1}{0.08}$, $\frac{275}{0.59}$,
 $\frac{237}{0.08}$, $\frac{259/2}{0.27}$, $\frac{238}{0.08}$, $\frac{265/2}{0.20}$, $\frac{231/3}{0.02}$
 कुल रकबा 5.44 है। गंगासहाय पुत्र गेंदीलाल
 की खातेदारी में रहेगी।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

नम्बर
अहक
हुकम
में

4. भूमि खण्ड नं० $\frac{58}{0.21}$, $\frac{66}{1.14}$, $\frac{80}{0.37}$, $\frac{81}{0.81}$,
 $\frac{259/3}{0.39}$, $\frac{260}{0.15}$, $\frac{261}{0.09}$, $\frac{264}{0.31}$, $\frac{262/2}{0.09}$, $\frac{280}{0.66}$
 $\frac{265/3}{0.20}$, $\frac{231/5}{0.02}$ कुल रकबा 4.44 हेक्टर

रामजीलाल पुत्र गेंदीलाल की स्वातंत्र्य में रहेगी।

5. भूमि खण्ड नं० $\frac{60}{0.73}$, $\frac{76}{1.14}$, $\frac{30}{0.30}$, $\frac{232/2}{0.82}$,
 $\frac{255}{0.34}$, $\frac{266}{0.33}$, $\frac{267}{0.31}$, $\frac{265/4}{0.42}$, $\frac{231/4}{0.05}$, कुल
4.44 हेक्टर सत्यनारायण पुत्र गेंदीलाल की
स्वातंत्र्य में रहेगी।

6. भूमि खण्ड नं० $\frac{263}{0.04}$, $\frac{272}{0.04}$, $\frac{257}{0.01}$, $\frac{14}{0.10}$
कुल रकबा 21 सयर रूपनारायण, प्रभुदयाल,
गंगासाय, रामजीलाल, सत्यनारायण पुत्रगण
गेंदीलाल हिस्सा कराकर की स्वातंत्र्य में
दर्ज रहेगी।

उपरोक्त सभी का कैक रहन जमाबंदी
के अनुसार यथावत रहेगा। इसी अनुसार
पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया
जाता है। पक्षकारों के पृथक पृथक स्वातंत्र्य
तैयार किए जाकर पृथक पृथक लगान
निर्धारित किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड व
नक्शा ट्रेस में इन्ड्रज दुकस्ती की जावे।

यत्रावली पैसलशुमार दोहर नम्बर
से कम हो एवं कोद तकमिल कारखिल दफ्तर
हो।

(रवि कुमार शर्मा, Adv.) (गंगाप्रसाद) (मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष

सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

ट्रेस जो पेश
कारों की स्वातंत्र्य की
निवेदन किया
नामा एवं
मिल को गड़ी
शिविर में
(मुनिदेव यादव)

शिविर में पेश
जन स्कीम
कारों ने
न स्कीम
जनामा
है। अतः
निम्न प्रकार

$\frac{79}{1.14}$, $\frac{33}{0.89}$,
रूपनारायण
 $\frac{27}{0.37}$,
 $\frac{23}{0.72}$, $\frac{231/2}{0.05}$
लाल की
 $\frac{39}{0.29}$,
 $\frac{275}{0.59}$,
31/3

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अमरगढ

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

रूपनारायण पुत्र गेंदीलाल, ब्राह्मण निवासी विदरखा तह0 गंगापूर सिटी

—वादी

बनाम

प्रभूदयाल पुत्र गेंदीलाल, ब्राह्मण निवासी विदरखा तह0 गंगापूर सिटी

रामजीलाल पुत्र गेंदीलाल, ब्राह्मण निवासी विदरखा तह0 गंगापूर सिटी

गंगासहाय पुत्र गेंदीलाल, ब्राह्मण निवासी विदरखा तह0 गंगापूर सिटी

सत्यनारायण पुत्र गेंदीलाल, ब्राह्मण निवासी विदरखा तह0 गंगापूर सिटी

शाखा प्रबधक इलाहवाद बैंक शाखा गंगापूर सिटी

शाखा प्रबधक सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापूर सिटी

शाखा प्रबधक एसबीबीजे शाखा औ. क्षे. सालौदा

सब रजिस्ट्रार एवं लैंड होल्डर तहसीलदार गंगापूर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

कदना नं. — 49/2014

वादी की ओर से वादी रूपनारायण की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी प्रभूदयाल, रामजीलाल, गंगासहाय, सत्यनारायण की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 02.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार ग्राम विदरखों की भूमि ख0न0 79 रकबा 1.11 हेक्टर ख0न0 33 रकबा 89 एयर, ख0न0 31 रकबा 32 एयर, ख0न0 34 रकबा 58 एयर, ख0न0 269 रकबा 17 एयर, ख0न0 271 रकबा 41 एयर, ख0न0 274 रकबा 71 एयर, ख0न0 265/1 रकबा 21 एयर, ख0न0 231/1 रकबा 4 एयर कुल रकबा 4.44 हेक्टर रूपनारायण पुत्र गेंदीलाल की खातेदारी मे रहेगी।

ख0न0 78 रकबा 93 एयर ख0न0 12 रकबा 88 एयर, ख0न0 15 रकबा 24 एयर ख0न0 27 रकबा 37 एयर, ख0न0 232/1 रकबा 64 एयर, ख0न0 259/1 रकबा 21 एयर, ख0न0 258 रकबा 13 एयर, ख0न0 256 रकबा 27 एयर, ख0न0 279 रकबा 72 एयर, ख0न0 231/2 रकबा 5 एयर कुल रकबा 4.44 हेक्टर प्रभूदयाल पुत्र गेंदीलाल की खातेदारी मे रहेगी।

ख0न0 50 रकबा 63 एयर, ख0न0 16 रकबा 29 एयर ख0न0 13 रकबा 79 एयर, ख0न0 29 रकबा 29 एयर, ख0न0 235 रकबा 34 एयर, ख0न0 236 रकबा 24 एयर, ख0न0 254 रकबा 25 एयर, ख0न0 253 रकबा 29 एयर, ख0न0 262/1 रकबा 8 एयर, ख0न0 275 रकबा 59 एयर, ख0न0 237 रकबा 8 एयर, ख0न0 259/2 रकबा 27 एयर, ख0न0 238 रकबा 8 एयर, ख0न0 265/2 रकबा 20 एयर, ख0न0 231/3 रकबा 2 एयर कुल रकबा 4.44 हेक्टर गंगासहाय पुत्र गेंदीलाल की खातेदारी मे रहेगी।


उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

ख0न0 58 रकबा 21 एयर, ख0न0 66 रकबा 1.14 हेक्टर ख0न0 80 रकबा 37 एयर, ख0न0 81 रकबा 81 एयर, ख0न0 259/3 रकबा 39 एयर, ख0न0 260 रकबा 15 एयर, ख0न0 261 रकबा 9 एयर ख0न0 264 रकबा 31 एयर, ख0न0 262/2 रकबा 9 एयर, ख0न0 80 रकबा 66 एयर ख0न0 265/3 रकबा 20 एयर, 231/5 रकबा 2 एयर कुल रकबा 4.44 हेक्टर रामजीलाल पुत्र गेदीलाल की खातेदारी मे रहेगी।

ख0न0 60 रकबा 73 एयर, ख0न0 76 रकबा 1.14 हेक्टर, ख0न0 30 रकबा 30 एयर, ख0न0 232/2 रकबा 82 एयर, ख0न0 255 रकबा 34 एयर, ख0न0 266 रकबा 33 एयर, ख0न0 267 रकबा 31 एयर, ख0न0 265/4 रकबा 42 एयर, ख0न0 231/4 रकबा 5 एयर कुल 4.44 हेक्टर सत्यनारायण पुत्र गेदीलाल की खातेदारी मे रहेगी।

ख0न0 263 रकबा 4 एयर, 272 रकबा 4 एयर, ख0न0 257 रकबा 1 एयर, ख0न0 14 रकबा 10 एयर कुल रकबा 21 एयर रूपनारायण, प्रभूदयाल, गंगासहाय, रामजीलाल सत्यनारायण पुत्रगण गेंदीलाल हिस्सा बरावर की खातेदारी मे दर्ज रहेगी।

उपरोक्त सभी का बैंक रहन जमाबंदी के अनुसार जमाबंदी के अनुसार यथावत रहेगा। इसी अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। पक्षकारों के खाते पृथक पृथक खाते तैयार किये जाकर पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एव राजस्व रिकार्ड व रकबा ट्रेस मे इन्द्राज दुरुस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 02.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Signature)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	